न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू कैम्प नाकरासर
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
01/2018	अपील 75 LRA	06.04.2018	15.05.2018

भोमाराम पुत्र रामधन जाति जाट उम्र 35 साल निवासी गांव गाजुवास, तहसील तारानगर जिला चूरू

–अपीलाण्ट–

बनाम

ग्राम पंचायत नाकरासर तह. चूरू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाकरासर, तहसील व जिला चूरू

–रेस्पोडेण्ट्स–

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं. 663 दिनांक 20.04.2017 ग्राम पंचायत नाकरासर अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित – 1. श्री भीमनाथ सिद्ध वकील अपीलांट
2. सरपंच ग्राम पंचायत नाकरासर

निर्णय

दिनांक: 15.05.2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि हुक्म व आदेश मातहत ग्राम पंचायत नाकरासर दिनांक 20.04.17 खिलाफ कायदा, खिलाफ कानून, खिलाफ वाकयात, मिसल एवं नियम व न्याय विरूद्ध होने से हर प्रकार से निरस्त करने काबिल है। यह कि आदेश जैर अपील पारित करने से पहले रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट् को कोई नोटिस नहीं दिया गया, न कोई सुनवाई की गई, न कोई सबूत पेश करने का मौका दिया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध उसके अधिकारों के विपरीत आदेश पारित करने से पहले उसको नोटिस दिया जाकर सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिया जावेगा परन्तु मातहत ग्राम पंचायत ने ऐसा नहीं कर विधि के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त करने काबिल है। यह कि इस अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही ग्राम रामदेवरा तहसील चूरू में स्थित कृषि भूमि ख. नं. 180 तादादी 7 विश्वा, ख. नं. 181 तादादी 4.08 बीघा, ख. नं. 317/247 तादादी 2 विश्वा, ख. नं. 547/203 तादादी 3 विश्वा कुल खसरा 4 कुल तादादी 5 बीघा भूमि श्रीमति नानूदवी पत्नि केसराराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तहसील चूरू की खातेदारी थी इस प्रकार कृषि भूमि ख. नं. 544/197 तादादी 4.01 बीघा, ख.नं. 545/203 तादादी 8.10 बीघा, ख.नं. 549/207 तादादी 6.16 बीघा, ख. नं. 550/208 तादादी 15 विश्वा कुल खसरा 4 कुल तादादी 20.02 बीघा भूमि रोही गांव रामदेवरा हनुमान, मोमनराम, अन्नाराम, श्रीमति कमला पुत्रगण एवं पुत्री केसराराम जाट निवासीगण रामपुरा बास जसरासर की सह खातेदारी थी इसी प्रकार कृषि भूमि ख. नं. 546/203 तादादी 5 बीघा रोही गांव रामदेवरा तहसील चूरू श्रीमति उमादेवी पुत्री स्व0 केसराराम जाट

उपखण्ड अ

निवासी गांव खीवासर तहसील चूरू के नाम से खातेदारी की थी इस उारोक्त समस्त कृषि भूमि को उपरोक्त सभी खातेदारों ने मुनासिफ प्रतिफल की राशि अपीलान्ट् से प्राप्त कर अपीलान्ट् के पक्ष में दिनांक 04.03.2017 को एक बैनामा उप–पंजीयक चूरू के कार्यालय में पंजीकृत करवा दिया जिस बाबत आज तक विक्रतागण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई ओर न है ओर इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट् उपरोक्त वादगत भूमि का कानून की दृष्टि में खातेदार काश्तकार हो चुका है परन्तु मातहत ग्राम पंचायत ने इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर नहीं कर आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त करने काबिल है। यह कि अपीलान्ट् के पक्ष में दिनांक 04.03.2017 को जो बैनामा विक्रेतागण की ओर से पंजीकृत करवाया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बिक्रित कृषि भूमि पर कब्जा व दखल केता का करवा दिया गया है और इसके आधार पर पटवारी हल्का के द्वारा अपनी जांच में सभी तथ्यों को सही मानते हुये अपीलान्ट् के नाम से नामान्तकरण सं0 663 दिनांक 23.03.2017 को सही तरीके से दर्ज किया गया है परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक ने बिना कोई जांच, बिना नियम, खिलाफ कानून अपनी गलत रिपोर्ट कर दी कि विक्रेतागण व केता का एवं विक्रेतागण का कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तकरण खारिज योग्य है। इस रिपोर्ट को आधार मानकर मातहत ग्राम पंचायत ने बिना कोई जांच खिलाफ कानून बिना अपीलान्ट् की सुनवाई किये नामान्तकरण को खारिज करने का आदेश विधि विरूद्ध किया है जो निरस्त करने काबिल है। यह कि कृषि भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र में केता को कब्जा सौंपने का स्पष्ट अंकन होने के बाद तथा पटवारी हल्का के द्वारा उसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच व रिपोर्ट केवल रिकॉर्ड के आधार पर होती है परन्तु इस मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक ने जानबूझकर अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिये बिना अधिकार खिलाफ कानून बिना कोई जांच किये गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट को आधार मानकर ग्राम पंचायत ने जो आदेश पारित किया है वो हर प्रकार से निरस्त करने काबिल है। यह कि मातहत ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.04.2017 का अपीलान्ट् को पूर्व में किसी प्रकार से कोई ज्ञान एवं जानकारी नहीं थी अपीलान्ट् अपने द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि को बैंक के रहन रखकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के लिये दिनांक 02.04.2018 को पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारी हल्का ने सर्वप्रथम अपीलान्ट् को यह जानकारी दी कि जमाबन्दी में आपके नाम से खातेदारी की कोई भूमि अंकित नहीं है और आपके नाम से दर्ज किया गया नामान्तकरण सं0 663 पूर्व में निरस्त हो चुका है इस पर अपीलान्ट् ने पटवारी हल्का से दिनांक 02.04.2018 को ही नकल प्राप्त की इसलिये अपीलान्ट् को हुये ज्ञान की तारीख से अपीलान्ट् की अपील अन्दर मियाद पेश है इसके समर्थन में धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। यह कि ग्राम पंचायत अदालत मातहत अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में है ओर अदालत वाला को अपील हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार होने से उचित कोर्ट फीस पर यह अपील अन्दर मियाद पेश है। अन्य वजवात वरवक्त बहस निवेदन कर दिये जावेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट् प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट् की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपील मातहत ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 20.04.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण सं. 663 ग्राम रामदेवरा निरस्त किया गया उस आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट् के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट् के नाम से दर्ज एवं तस्दीक करने का आदेश दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

चूरू

अपील अपीलाण्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी रखी गई। तत्पश्चात् दिनांक 15.05.18 को पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर नाकरासर में पेश हुई। रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत नाकरासर ने स्वयं उपस्थित होकर 'No objection' अंकित किया।

अपील अपीलाण्ट में रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 'No objection' अंकित करने पर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्राम रामदेवरा के ख.नं. 546/203 तादादी 1.2646 हैक्टेयर में उमादेवी पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी खींवासर, ख.नं. 180, 181, 317/247, 547/203 कुल तादादी 1.2646 हैक्टेयर में नानूदेवी पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी एवं ख. नं. 544/197, 545/203, 549/207, 550/208 कुल तादादी 5.0838 हैक्टेयर में अनाराम, कमला, मोमनराम, हनुमान पुत्र–पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी रामपुरा खातेदार दर्ज हैं। छाया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि उपरोक्त खातेदारों ने अपनी खातेदारी की सम्पूर्ण कृषि भूमि को उचित प्रतिफल प्राप्त कर साधिकार अपीलाण्ट भोमाराम को विक्रय कर विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा व दखल क्रेता का करवाया है। उक्त खातेदारों ने विक्रय पत्र में यह भी अंकित किया है कि समस्त अधिकार खातेदारी के जो कुछ भी विक्रेतागण का बरूए रेवेन्यु रेकार्ड के विक्रीत कृषि भूमियों के बाबत प्राप्त हुए थे, वे सब ज्यों के त्यों क्रेता के पक्ष में अन्तरित कर दिये गये हैं। छाया प्रति नामान्तरकरण संख्या 663 ग्राम रामदेवरा के अवलोकन से पाया जाता है कि यह नामान्तरकरण विक्रय पत्र दिनांक 04.03.17 के आधार पर पटवारी हल्का नाकरासर द्वारा वादगत कृषि भूमि के क्रेता के पक्ष में दिनांक 23.03.17 को दर्ज किया है जो सही प्रतीत होता है। भू–अभिलेख निरीक्षक नाकरासर की जांच रिपोर्ट में अंकित है कि विक्रय पत्र में वर्णित भूमि पर मौके पर विक्रेतागण व क्रेता का कब्जा नहीं है। मौके पर सहीराम दत्तक पुत्र कालूराम जाति जाट नि0 रामदेवरा का कब्जा काश्त है। मौके पर विक्रेतागण व क्रेता का कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तरकरण खारिज योग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत नाकरासर द्वारा दिनांक 20.04.17 को भू–अभिलेख निरीक्षक नाकरासर को आधार मानते हुए सर्वसम्मति उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकृत किया है जो प्रथम दृष्टया ही उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत द्वारा केवल भू–अभिलेख निरीक्षक नाकरासर की जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किया गया है जबकि क्रेता ने अपीलाधीन कृषि भूमि को पूर्व खातेदारों से उचित प्रतिफल देकर साधिकार क्रय किया है एवं विक्रेतागण द्वारा विक्रीत कृषि भूमियों का साधिकार कब्जा व समस्त खातेदारी हक अधिकार क्रेता को दिये जाने का स्पष्ट अंकन लिखित में विक्रय पत्र में किया गया है, फिर भी नियमों के विपरीत उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत नाकरासर द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार जांच किया जाना या अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिया जाना भी प्रत्यक्ष नहीं है। नियमानुसार नामान्तरकरण से किसी भी पक्षकार के हक अधिकार तय नहीं होते क्योंकि नामान्तरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही की श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकार दावा के माध्यम से ही तय होते हैं जिसमें पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद बहस गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत सरपंच नाकरासर द्वारा 'No objection' अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि अपील को स्वीकार किये जाने से उन्हें को आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत नाकरासर दिनांक 20.04.2017 .को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, चूरू को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू